क्रम-संख्या –200

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 23 अगस्त, 2004

भाद्रपद 1, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1230 जात-वि०-1-1(क)25-2004

लखनऊ, 23 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 20 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में खण्ड (8-क) निकाल दिया जायेगा।

धारा 122-ग का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 122-ग में :–

(क) उपधारा (1) में शब्द "अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में,–

(एक) शब्द "अनुसूचित आदिम जाति का हो" जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "अनुसूचित आदिम जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(4) कोई विकलांग व्यक्ति जो ग्राम में रहता हो।

(तीन) स्पष्टीकरण–3 को स्पष्टीकरण–4 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण–4 के पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण–3 पद "विकलांग व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होगा जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ञ) में उल्लिखित नि:शक्तता से ग्रस्त हो।

(चार) स्पष्टीकरण–4 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण–5 पद "गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में है।"

धारा 168-क का निकाला जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 168-क निकाल दी जायेगी।

×× ×× ××

धारा 169 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (3) में शब्द "लिखित और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होगी" के स्थान पर शब्द "लिखित और दो व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत तथा रजिस्ट्रीकृत होगी" रख दिये जायेंगे।

धारा 171 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 171 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) किसी पुरुष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिश्तेदार, उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्

(क) विधवा और पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को, चाहे वह किसी भी नीची पीढ़ी में हो, प्रतिशाखा के अनुसार वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो उसे मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, मिलता;

(ख) माता और पिता;

(ग) अविवाहिता पुत्री;

(घ) विवाहिता पुत्री;

(ङ) भाई और अविवाहिता पुत्री, जो क्रमशः एक ही मृत पिता के पुत्र और पुत्री और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्वमृत भाई एक ही मृत पिता का पुत्र हो;

(च) पुत्र की पुत्री;

(छ) पितामही और पितामह;

(ज) पुत्री का पुत्र;

(झ) विवाहिता बहिन;

(ञ) सौतेली बहिन, जो एक ही मृत पिता की पुत्री हो;

(ट) बहिन का पुत्र;

(ठ) सौतेली बहिन का पुत्र, जब सौतेली बहिन एक ही मृत पिता की पुत्री हो;

(ड) भाई के पुत्र का पुत्र;

(ढ) नानी का पुत्र;

(ण) पितामह का पौत्र;"

धारा 178, 179, 180, 181 और 182 का निकाला जाना

7—मूल अधिनियम की धारायें 178, 179, 180, 181 और 182 निकाल दी जायेंगी।

धारा 195 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 195 में शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायेंगे।

धारा 197 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 197 में, उपधारा (1) में शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायेंगे।

धारा 198 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 198 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द "अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति", जहाँ कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति या अन्य पिछड़े वर्गों या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला सामान्य श्रेणी" रख दिये जायेंगे;

(दो) स्पष्टीकरण-3 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे अर्थात् :-

"(4) अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।"

(5) "गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित व्यक्तियों से है।"

(ख) उपधारा (4) में शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिया जायेगा;

(ग) उपधारा (4-क) को निकाल दिया जायेगा;

(घ) उपधारा (7) में, खण्ड (दो) में शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिया जायेगा;

(ङ) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(8) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।"

विशेष उपबन्ध

11—"एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि किसी टुकड़े के किसी संक्रमण को जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान था और जो धारा 168-क के अधीन व्यर्थ हो गया हो, व्यर्थ होने योग्य समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी फीस, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, जमा करके विधिमान्य करा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जायगा।

उद्देश्य और कारण

सामान्य और दुर्बल वर्गों, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों और विकलांग व्यक्ति के खातेदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951) को संशोधित कर निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :–

(1) आवास स्थल हेतु भूमि के आवंटन के लिये अन्य पिछड़ी जातियों, गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों को उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जाय जिस श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति हैं;

(2) प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिये टुकड़ों के संक्रमण पर प्रतिबन्धों से संबंधित उपबन्धों को निकाल दिया जाय;

(3) जाली वसीयतनामों की प्रचुर मात्रा में कूट रचना से बचने के लिये वसीयतनामें का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य किया जाय;

(4) बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराधिकार के क्रम को पारम्परिक संयुक्त परिवार से एकल परिवार के पक्ष में परिवर्तित किया जाय;

(5) तहसीलदार के बजाय परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर को इस प्रकार सशक्त किया जाय कि वह किसी भूमि को किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या असामी के रूप में उठा सके;

(6) परगने के असिस्टेन्ट कलेक्टर के बजाय कलेक्टर को आवंटन या पट्टे को रद्द करने के लिये सशक्त किया जाय;

(7) अन्य पिछड़ी जातियों और गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या असामी के रूप में भूमि के आवंटन के लिये उसी श्रेणी में अधिमानता क्रम में सम्मिलित किया जाय जिस श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति हैं।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

NO. 1230/VII-V–I–I (KA) 25/2004

Lucknow : Dated August 23, 2004

In persuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur Bhumi Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 20, 2004.

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. Act no. 27 of 2004)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2004.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 1 of 1951

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter referred to as the principal Act, clause (8-A) shall be *omitted.*

Amendment of section 122-C

3. In section 122-C of the principal Act,—

(a) In sub-section (1) *for* the words "the Scheduled Tribes" the words "the Scheduled Tribes and the other backward classes and the persons of general category living below poverty line" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (3),—

(i) *for* the words "the Scheduled Tribe" whenever occurring, the words "Scheduled Tribe or other backward classes or a person of general category living below poverty line" shall be *substituted;*

(ii) *after* clause (iii) the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(iv) a person with disability residing in the village."

(iii) Explanation III—shall be renumbered as explanation IV and before explanation IV as so re-numbered the following explanation shall be *inserted* namely :—

"Explanation III—The expression "person with disability" shall mean a person with any disabilities mentioned in clause (i) of section 2, of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (Act no. 1 of 1996).

(iv) *after* explanation IV the following explanation shall be *inserted,* namely:—

"Explanation V—The expression "persons of general category living below poverty line" shall have the same meaning as in section 198."

Omission of section 168-A

4. Section 168-A of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 169

5. In section 169 of the principal Act, in sub-section (3) *for* the words "be in writing and attested by two persons" the words "be in writing, attested by two persons and registered" shall be *substituted.*

Amendment of section 171

6. In section 171 of the principal Act, *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(2) the following relatives of the male bhumidhar or asami are heirs subject to the provisions of sub-section (1), namely :—

(a) widow and the male lineal descendant per stirps :

Provided that the widow and the son of a predeceased son how low-so-ever per stirps shall inherit the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive;

(b) mother and father;

(c) unmarried daughter;

(d) married daughter;

(e) brother and unmarried sister being respectively the son and the daughter of the same father as the deceased; and son of a predeceased brother, the predeceased brother having been the son of the same father as the deceased;

(f) son's daughter;

(g) father's mother and father's father;

(h) daughter's son;

(*i*) married sister;

(*j*) half sister, being the daughter of the same father as the deceased;

(*k*) sister's son;

(*l*) half sister's son, the sister having been the daughter of the same father as the deceased;

(*m*) brother's son's son;

(*n*) mother's mother's son;

(*o*) father's father's son's son."

Omission of sections 178, 179, 180, 181 and 182

7. Sections 178, 179, 180, 181 and 182 of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 195

8. In section 195 of the principal Act *for* the word "Tahsildar" the words "Assistant Collector incharge of the sub-division" shall be *substituted*.

Amendment of section 197

9. In section 197 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the word "Tehsildar" the words "Assistant Collector incharge of the sub-division" shall be *substituted*.

Amendment of section 198

10. In section 198 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1),—

(i) *for* the words "a Schedule Caste or Scheduled Tribe" wherever occurring, the words" a Scheduled Caste, Scheduled Tribe, other backward class or a person of general category living below poverty line" shall be *substituted;*

(ii) *after* Explanation (3) the following Explanations shall be *inserted*, namely :—

"(4)'other backward classes' means the backward classes of citizens Specified in Schedule-I of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994).

(5)"persons of general category living below poverty line" means such persons as may be determined from time to time by the State Government."

(*b*) in sub-section (4) *for* the words "Assistant Collector incharges of the sub-division" the word "Collector" shall be *substituted;*

(*c*) sub-section (4-A) shall be *omitted;*

(*d*) in sub-section (7) in clause (ii) *for* the words"Assistant Collector incharge of the sub-division" the word "Collector" shall be *substituted;*

(*e*) *for* sub-section (8) the following sub-section shall be *substituted* namely :—

"(8) Every order made by the Collector under sub-section (4) shall subject to the provisions of section 333, be final."

Special Provisions

11. It is hereby declared that any transfer of a fragment which had become void under section 168-A as it stood before the commencement of this Act shall be deemed to have been vidable and any person may get such transfer validated by depositing such fee and within such time and in such manner as may be notified by the State Government :

Provided that the above provisions shall cease to be in force after expiry of one year from the date of commencement of this Act.

STATEMENTS OF OBJECT AND REASONS

With a view to safeguarding the interest of tenure holders in general and the weaker sections viz. Schedule Castes, Schedule Tribes, other backward classes, the persons living below the poverty line and disabled persons, it has been decided to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U.P. Act no. 1 of 1951) to provide for,—

(1) including the other backward classes, the persons of general category living below the poverty line and disabled persons for the allotment of land for housing sites in the same category that of the Schedule Castes/Schedule Tribes;

(2) omitting the provision relating to restrictions on transfer of fragments to avoid its adverse effect;

(3) compulsory registration of will to avoid proliferation of forged wills.

(4) changing the order of succession keeping in view the changing social order in favour of nucleus family from traditional joint families;

(5) empowering the Assistant Collector in charge of sub-division instead of Tehsildar to admit any person as Bhumidhar with non-transferable rights or Asami to certain land;

(6) empowering the Collector instead of Assistant Collector in, charge of sub-division to cancel the allotment and the lease;

(7) inclusion of other backward classes and the persons of general category living below the poverty line in the same category as that of the Schedule Castes/Schedule Tribes in order of preference for the allotment of land as Bhumidhar with non-transferable rights or Asami.

The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Bill, 2004 is introduced accordinglty.

By order,

D.V. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 384 राजपत्र (हि०)–2004–(1048)–597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 163 सा०विधा०—(1049)—2004—850 (कम्प्यूटर/आफसेट)।